प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (श्रम) क्रमांक 2684/2007

याचिकाकर्ता मेसर्स मनिलाल दयालजी एंड कम्पनी

विरुद्ध

उत्तरवादी श्रीमती गायत्री बाई

एकलपीठः माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा

उपस्थित- याचिकाकर्ता की ओर से श्री विवेक चोपड़ा एवं श्री रजा अली, अधिवक्ता

मौखिक आदेश

(दिनाँक 26 नवम्बर,2013 को पारित)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

1. याचिकाकर्ता ने उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (संक्षिप्त में "अधिनियम, 1972") के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा दिनांक 27.11.2002 को पारित आदेश तथा अधिनियम, 1972 के अधीन ही अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.2007/20.02.2007 को पारित अपीलीय आदेश की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता एक बीड़ी निर्माता है। उत्तरवादी, याचिकाकर्ता के अन्तर्गत उसकी नवापारा स्थित शाखा में दिनांक 01.06.1974 से घरखाता बीड़ी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी और उसे पी.एफ. नंबर एमपी/2875/1387 आवंटित किया गया था। कार्य की समाप्ति के पश्चात, जब उसे उपदान का संदाय नहीं किया गया, तब उसने अधिनियम, 1972 के अधीन नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष उपदान संदाय का दावा करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

2. नियंत्रक प्राधिकारी ने एक विस्तृत आदेश द्वारा उत्तरवादी के दावे को स्वीकार किया और याचिकाकर्ता को यह निर्देशित किया कि वह उत्तरवादी को उपदान की राशि ₹8,487/- का संदाय, सेवा पृथक्करण के फलस्वरूप उपदान देय होने की तिथि से वास्तविक संदाय की तिथि तक 10% ब्याज के साथ करे। उक्त आदेश की पुष्टि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील में भी की गई है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दो तर्क प्रस्तुत किया है; प्रथम यह कि, अधिनियम, 1972 के अधीन किया गया दावा कालबाधित था और द्वितीय यह कि, उत्तरवादी एक घरखाता बीड़ी कर्मचारी थी और इस नाते, याचिकाकर्ता के कारखाने या स्थापन में नियोजित कर्मचारी न होने के कारण, वह अधिनियम, 1972 के परिधि में नहीं आती है। नियंत्रक प्राधिकारी ने उन दोनों तर्कों को खारिज कर दिया है जो इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए हैं।

4. अधिनियम, 1972 की धारा 7 उपदान की राशि के अवधारण का प्रावधान करती है, जो नियोजक के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि वह उपदान की राशि को अवधारित करे और उस व्यक्ति को लिखित सूचना दे जिसे उपदान संदेय है, चाहे संबंधित कर्मचारी द्वारा इसकी उप-धारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन किया गया हो या नहीं। उपदान संदाय (केंद्रीय) नियम, 1972 (संक्षिप्त में "नियम, 1972") का नियम 10, उपदान के संदाय के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है।

" 10. निदेश के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन—

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(1) यदि कोई नियोजक — (i) किसी नामनिर्देशन को स्वीकार करने से, या नियम 7 के अधीन फाइल किए जाने वाले किसी आवेदन पर विचार करने से इनकार करता है, अथवा

(ii) नियम 8 के उप-नियम (1) के अधीन ऐसा नोटिस जारी करता है जिसमें उपदान की ऐसी राशि विनिर्दिष्ट है जो आवेदक के विचार में देय राशि से कम है, या जो उपदान के भुगतान की पात्रता को अस्वीकार करता है, अथवा

(iii) नियम 7 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर भी, नियम 8 के अधीन अपेक्षित कोई भी नोटिस उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर जारी करने में विफल रहता है, तो यथास्थिति, दावाकर्ता कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक वारिसान , आवेदन के कारण उत्पन्न होने के नब्बे दिनों के भीतर, धारा 7 की उप-धारा (4) के अधीन निदेश जारी करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को प्ररूप 'N' में आवेदन कर सकेगा। इसके साथ विपक्षी पक्षकारों की संख्या के बराबर अतिरिक्त प्रतियाँ भी संलग्न की जाएंगी:

परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किया जाता है, तो नियंत्रक प्राधिकारी उक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात भी इस उप-नियम के अधीन किसी भी आवेदन को स्वीकार कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन और ऐसे आवेदन से संबंधित अन्य दस्तावेज नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे।

5. धारा 7 और नियम 10 (पूर्वोक्त) में निहित प्रावधानों के पठन से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम दृष्टया यह नियोजक का दायित्व है कि वह उपदान की राशि को अवधारित करे, और तत्पश्चात, नियम 10 में प्रदान की गई विशिष्ट परिस्थितियों में, यदि नियोजक विफल रहता है, तो यह कर्मचारी को नियंत्रक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है। नियम 10 के उप-नियम (1) का परंतुक नियंत्रक प्राधिकारी को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा कर सके।

6. नियंत्रक प्राधिकारी ने प्रारंभ में अपने आदेश दिनांक 22.02.1999 द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा कर दिया था, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने आर.एल.सी. (केंद्रीय) के समक्ष अपील दायर की थी। अपीलीय प्राधिकारी ने पक्षकारों को नए सिरे से सुनने के लिए प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया और उसके बाद नियंत्रक प्राधिकारी ने पुनः आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने का आदेश पारित किया। चूँकि अपीलीय प्राधिकारी को विलंब क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है और प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह अधिनियम एक हितकारी विधान है, दी गई परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग किया है, अतः यह न्यायालय विवेकाधिकार के उक्त प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए, इस तथ्य पर कि आवेदन परिसीमा द्वारा बाधित था, विधिवत विचार किया जा चुका है और एक बार विलंब क्षमा हो जाने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदन परिसीमा द्वारा बाधित था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए आगामी तर्क बिंदु यह है कि उत्तरवादी, एक घरखाता बीड़ी कर्मचारी होने के कारण, अधिनियम, 1972 की धारा 2 (ड़) के अर्थ के अन्तर्गत 'कर्मचारी' नहीं है; इसलिए, आदेश अधिकारिता विहीन है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए का तर्क का मूल्यांकन करने के लिए, अधिनियम, 1972 की धारा 2 (ड़) और 2 (च) में दिए गए 'कर्मचारी' और 'नियोजक' की परिभाषा को उद्धृत करना आवश्यक है, जो कि निम्नानुसार है:

> "(ङ) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति (शिक्षु से भिन्न) अभिप्रेत है जो किसी कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कंपनी, दुकान या अन्य स्थापन के, जिनको यह अधिनियम लागू होता है कार्य में या कार्य के संबंध में शारीरिक या अन्यथा किसी प्रकार के कार्य में मजदूरी पर नियोजित है, चाहे ऐसे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हैं अथवा विवक्षित हैं किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है और किसी ऐसे अन्य अधिनियम या किन्हीं ऐसे नियमों द्वारा शासित होता है, जिसमें उपदान के संदाय का उपबंध है।

(च) "नियोजक" से, किसी ऐसे स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान के संबंध में-

(i) जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की है, अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, समुचित सरकार द्वारा कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, अथवा प्राधिकारी अभिप्रेत है, अथवा जहां कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया है वहां सम्बद्ध मंत्रालय अथवा विभाग का प्रधान अभिप्रेत है.

(ii) जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की है अथवा उसे नियंत्रणाधीन है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है अथवा जहां कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया है वहां स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है.

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(iii) किसी अन्य दशा में, वह व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसका स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान के कार्यकलाप पर अंतिम नियंत्रण है, तथा जहां उक्त कार्यकलाप किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे गए हैं, चाहे वह प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक अथवा किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, वहां वह व्यक्ति अभिप्रेत है।

9. ऊपर उद्धृत 'कर्मचारी' और 'नियोजक' की परिभाषाओं को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि 'कर्मचारी' और 'नियोजक' के बीच एक संबंध होना आवश्यक है; और कार्य का स्थान, अर्थात वह स्थान जहाँ बीड़ियाँ बनाई जा रही हैं, वह निर्णायक कारक नहीं है। जब (अधिनियम में) ऐसा कोई भेद नहीं किया गया है, तो निर्माता द्वारा नियोजित एक 'घरखाता बीड़ी कर्मचारी' निश्चित रूप से अधिनियम, 1972 की धारा 2 (ड़) के अधीन दिए गए 'कर्मचारी' के अर्थ के भीतर शामिल होगा, क्योंकि वह कर्मचारी निर्माता के लाभ के लिए अपने घर पर बीड़ियाँ बना रहा/रही है।

10. यह निर्माता/नियोजक का ऐसा प्रकरण नहीं है कि बीड़ी पत्तों या तंबाकू की एक निश्चित मात्रा घरखाता श्रमिकों को बेची गई थी और बीड़ी बनाने के बाद वे इसे पुनः निर्माता को बेचते हैं। इसके विपरीत, यह एक स्वीकृत स्थिति प्रतीत होती है कि घरखाता बीड़ी श्रमिकों को नियोजक/निर्माता द्वारा कच्चा माल उपलब्ध कराया गया था और निर्माता/नियोजक के लाभ और उसकी संतुष्टि के लिए बीड़ी बनाने के बाद, वे इसे वापस कर देते हैं; जो कि सामान्यतः कार्यस्थल पर काम करने वाले एक कर्मचारी का कार्य होता है।

11. बीड़ी और सिगार श्रमिक (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966' (संक्षेप में "अधिनियम, 1966") में भी उन बाहरी श्रमिकों या श्रमिकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल हैं जो बीड़ी निर्माताओं के परिसर में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि अपने आवासीय परिसरों में कार्य करते हैं।

12. इस न्यायालय की राय में, अधिनियम की धारा 2 (ड़) के अधीन 'कर्मचारी' की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द कोई भी स्थापन का अर्थ न केवल निर्माता का व्यावसायिक परिसर होगा, बल्कि ऐसा कोई भी अन्य परिसर होगा जहाँ बीड़ी निर्माता द्वारा नियोजित बीड़ी श्रमिक उसके लिए कार्य करता है, और इस प्रकार वह बीड़ी निर्माता का एक विस्तारित स्थापन बन जाता है।

13. अधिनियम, 1972 की धारा 2 (ड़) के अधीन 'कर्मचारी' की परिभाषा की उपर्युक्त व्याख्या करते समय, इस न्यायालय को गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पटेल हीरालाल रामलाल एंड कंपनी विरुद्ध चांदबीबी पीरूभाई व अन्य[1] में पारित निर्णय से बल मिलता है, जिसका बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा बागी बीड़ी फैक्ट्री, हुबली विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी[2] के प्रकरण में अनुसरण किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की प्रयोज्यता से उत्पन्न होने वाले इसी प्रकार के विवाद्यक पर मेसर्स पी.एम. पटेल एंड संस व अन्य विरुद्ध भारत संघ व अन्य[3] के प्रकरण में विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कर्मचारी होने के लिए यह आवश्यक है कि नियोजक के साथ स्वामी और सेवक का संबंध विद्यमान होना चाहिए। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने कण्डिकाएँ 8, 9 और 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> 8. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 17-5-1977 की आक्षेपित अधिसूचना के अनुसरण में बीड़ी उद्योग को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के दायरे में लाया गया है और दिनांक 23-5-1977 की आक्षेपित अधिसूचना ने इस योजना को बीड़ी उद्योग पर लागू कर दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) का खंड (क) उस अधिनियम को ऐसे प्रत्येक स्थापन पर लागू करता है जो अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में लगा हुआ कारखाना है और जिसमें बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। स्वीकृत रूप से, निर्माता का कारखाना, इस प्रकार, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और योजना की परिधि के भीतर आता है। याचिकाकर्तागण द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि कारखाने के परिसर के भीतर नियोजित श्रमिक अधिनियम और योजना के अंतर्गत आच्छादित होंगे। <u>वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या गृह-श्रमिक उस लाभ के हकदार हैं।</u> अधिनियम की धारा 2 का खंड (च) 'कर्मचारी' को इस प्रकार परिभाषित करता है कि इसका अर्थ है "कोई भी व्यक्ति जो

1 (1980) 2 GLR 307:1981 LIC 790
2 ILR 1997 KAR 2896
3 (1986) 1 SCC 32

किसी स्थापन के कार्य में या उसके संबंध में, किसी भी प्रकार के कार्य (शारीरिक या अन्यथा) के लिए मजदूरी पर नियोजित है, और जो अपनी मजदूरी सीधे या परोक्ष रूप से नियोजक से प्राप्त करता है, और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से स्थापन के कार्य में या उसके संबंध में नियोजित है"। यह ध्यान देने योग्य है कि परिभाषा की शर्तें व्यापक हैं। उनमें न केवल नियोजक द्वारा सीधे नियोजित व्यक्ति शामिल हैं, बल्कि ठेकेदार के माध्यम से नियोजित व्यक्ति भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उनमें न केवल कारखाने में नियोजित व्यक्ति शामिल हैं, बल्कि कारखाने के कार्य के संबंध में नियोजित व्यक्ति भी शामिल हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक गृह-श्रमिक, इस तथ्य के आधार पर कि वह बीड़ी बनाता है कारखाने के कार्य से जुड़ी गतिविधि में शामिल है। हम याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत उस संकीर्ण व्याख्या को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि 'कर्मचारी' की परिभाषा में प्रयुक्त शब्द 'के संबंध में' को केवल कारखाने के भीतर ही निर्माण की कुल प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किए गए कार्य तक सीमित रखा जाना चाहिए।

9. अब, एक कर्मचारी होने के लिए यह आवश्यक है कि नियोजक के साथ स्वामी और सेवक का संबंध विद्यमान हो। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ऐसा संबंध निर्माता और घर पर काम करने वाले कामगार के बीच मौजूद है। इस संबंध में पक्षों द्वारा हमारे समक्ष कई मामले रखे गए, जिनका संदर्भ लिया जा सकता है।चिंतामन राव विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, इस न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि स्वतंत्र ठेकेदार, जिन्हें सट्टेदार के रूप में जाना जाता है और जिनके साथ निर्माता ने बीड़ी की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया था, उन्हें कारखाना अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) की परिभाषा के अधीन श्रमिक नहीं कहा जा सकता, और न ही उनके कुलियों को; क्योंकि सट्टेदारों ने अपनी स्वयं की फैक्ट्रियों में बीड़ी बनाने या किसी तीसरे पक्ष को काम सौंपकर बीड़ी की आपूर्ति करने का जिम्मा लिया था। सट्टेदार, काम करने के तरीके के संबंध में निर्माता के नियंत्रण के अधिकार के अधीन नहीं थे।न्यायालय ने इस सिद्धांत को लागू किया कि:

स्वामी और सेवक के संबंध को निर्धारित करने की कसौटी स्वामी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने के अधिकार के अस्तित्व में निहित है। यह नियंत्रण न केवल इस बात पर होना चाहिए कि सेवक को क्या काम करना है, बल्कि इस पर भी कि वह उस काम को किस प्रकार से करे। प्रसंगवश, न्यायालय ने सट्टेदारों द्वारा उनके घरों में बीड़ी बनाने के लिए नियोजित होम वर्कर्स का उल्लेख किया और यह टिप्पणी की कि उन्हें निर्माता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंसी के माध्यम से नियोजित व्यक्ति नहीं माना जा सकता। इसके पश्चात, बिरदीचंद शर्मा विरुद्ध प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, नागपुर के मामले में, इस न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर विचार किया जहाँ निर्माता ने अपनी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बीड़ी फैक्ट्री में उन श्रमिकों को नियुक्त किया था जिन्हें अपने घर पर काम करने की स्वतंत्रता थी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिन शर्तों के अधीन वे काम करते थे, उन्होंने उन्हें कारखाना अधिनियम की धारा 2 के खंड (1) के अर्थ में "श्रमिक" बना दिया। इस निर्णय की महत्वपूर्ण विशेषता न्यायालय की उस टिप्पणी में निहित है कि बीड़ी उद्योग के मामले में, यदि बीड़ी उचित मानक के अनुरूप नहीं है तो उसे अस्वीकार करने का अधिकार, निर्माता द्वारा प्रयोग किए गए पर्यवेक्षण और नियंत्रण का प्रमाण था। यह देखते हुए कि पर्यवेक्षण और नियंत्रण की प्रकृति और सीमा अलग-अलग उद्योगों में भिन्न होती है, न्यायालय ने कहा:

> वर्तमान मामले में कार्य की प्रकृति को देखते हुए यह शायद ही कहा जा सकता है कि बीड़ी बनाते समय हर समय पर्यवेक्षण होना आवश्यक है, और जब तक ऐसा पर्यवेक्षण न हो, तब तक कार्य करने के तरीके के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। वर्तमान मामले में, प्रक्रिया सरल होने के कारण, कार्य करने के तरीके पर नियंत्रण दिन के अंत में तब किया जाता है जब बीड़ियाँ तैयार हो जाती हैं, और यह उन बीड़ियों को अस्वीकार करने की पद्धति के माध्यम से किया जाता है जो उचित मानक के अनुरूप नहीं होती हैं। ऐसे मामले में, यह पर्यवेक्षण करने का अधिकार है जो महत्वपूर्ण है, न कि वह तरीका जिससे इसका प्रयोग किया जाता है...

इसके बाद शंकर बालाजी वाजे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य का संदर्भ लिया जा सकता है। उस मामले के विशेष तथ्यों पर बहुमत का विचार यह था कि श्रमिक निर्माता के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन नहीं थे। बहुमत बनाने वाले विद्वान न्यायाधीश संभवतः बिरदीचंद शर्मा मामले के उन अवलोकनों की अनदेखी कर गए कि श्रमिकों द्वारा तैयार की गई बीड़ियों को अस्वीकार करने का अधिकार अपने आप में पर्यवेक्षण और नियंत्रण का एक पर्याप्त तत्व है।

याचिकाकर्तागण द्वारा हमारा ध्यान उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ की ओर भी आकृष्ट किया गया, किंतु यह एक ऐसा मामला था जहाँ प्रश्न यह था कि क्या वह अधिसूचना वैध थी जिसने नियोजक को भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अधीन गठित भविष्य निधि में उन श्रमिकों का हिस्सा जमा करने के लिए उत्तरदायी बनाया था जो वास्तव में स्वतंत्र ठेकेदारों के कर्मचारी थे। न्यायालय ने निर्माता द्वारा नियोजित श्रम और स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रम के बीच एक सूक्ष्म अंतर स्पष्ट किया।

इनमें से अधिकांश मामलों पर इसके बाद इस न्यायालय द्वारा डी.सी. दीवान मोहिदीन साहिब एंड संस विरुद्ध इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, मद्रास में विचार किया गया था। विधि की समीक्षा करते हुए, न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू करने के विरुद्ध

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्माताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि "तथाकथित ठेकेदारों" द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिक वास्तव में अपीलार्थीगण के ही श्रमिक थे, जिन्होंने उन्हें अपने एजेंटों या सेवकों के माध्यम से नियोजित किया था। हालांकि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि न्यायालय ने बिरदीचंद शर्मा मामले में व्यक्त विचार को दोहराया कि बीड़ी बनाना इतने सरल स्वभाव का कार्य था कि हर समय पर्यवेक्षण की आवश्यकता नहीं थी और यदि दोषपूर्ण बीड़ियों को अस्वीकार करने की प्रणाली के माध्यम से दिन के अंत में पर्यवेक्षण किया जाता था, तो वह पर्याप्त था।

सिल्वर जुबली टेलरिंग हाउस विरुद्ध मुख्य दुकान एवं स्थापन निरीक्षक के मामले में 'स्वामी और सेवक' के संबंध को निर्धारित करने वाले मानदंडों के संबंध में विधि में एक बड़ा बदलाव आया। न्यायमूर्ति मैथ्यू, जिन्होंने न्यायालय की ओर से व्यक्त किया, उन्होंने इस न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णयों के साथ-साथ इंग्लैंड में दिए गए कुछ निर्णयों की समीक्षा की और बताया कि पारंपरिक रूप से प्रतिपादित 'नियंत्रण का परीक्षण' अब एकमात्र या अनन्य परीक्षण नहीं माना जाता है। उन्होंने अवलोकन किया: (एससीसी पृष्ठ 507-08, कण्डिका 28 और 29)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आज यह अत्यंत संदेहास्पद है कि सेवा के अनुबंध और सेवा के लिए अनुबंध के बीच अंतर करने के लिए किसी एक एकल परीक्षण जैसे फार्मूले की खोज किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति करेगी। सबसे लाभकारी कार्य यही हो सकता है कि उन सभी कारकों की जांच की जाए जिनका उल्लेख इस विषय से संबंधित मामलों में किया गया है। स्पष्ट रूप से, ये सभी कारक सभी मामलों में सुसंगत नहीं होंगे और न ही सभी मामलों में उनका महत्व समान होगा। यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि ऐसा कोई 'जादुई फार्मूला' प्रतिपादित नहीं किया जा सकता कि किन कारकों को किसी भी मामले में निर्णायक माना जाना चाहिए। स्पष्ट तथ्य यह है कि बड़ी संख्या में मामलों में, न्यायालय केवल एक संतुलनकारी कार्य ही कर सकती है, जिसमें उन कारकों को तौला जाता है जो एक दिशा की ओर इशारा करते हैं और उनका संतुलन उन कारकों के विरुद्ध किया जाता है जो विपरीत दिशा की ओर इशारा करते हैं।

पिछले दो दशकों के दौरान इस क्षेत्र में बल बदल गया है और अब यह 'नियंत्रण' के प्रश्न पर उतना अधिक केंद्रित नहीं रहा है। नियंत्रण निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है और कई मामलों में यह अभी भी निर्णायक कारक हो सकता है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि हर मामले में यह निर्णायक ही है। अब यह केवल एक कारक मात्र है, हालांकि एक महत्वपूर्ण कारक है।

वह (न्यायमूर्ति मैथ्यू) एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे थे जहाँ श्रमिक दर्जी थे जो सिलाई की दुकानों पर जाते थे और काम उपलब्ध होने पर उन्हें काम दिया जाता था;

और जब किसी श्रमिक को सिलाई के लिए कपड़ा दिया जाता था, तो उसे बताया जाता था कि उसे सिलाई कैसे करनी है, और यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता था, तो काम को अस्वीकार कर दिया जाता था और उसे दोबारा सिलाई करने के लिए कहा जाता था। कुछ श्रमिकों को सिलाई के लिए कपड़े घर ले जाने की अनुमति भी दी गई थी। न्यायालय ने माना कि वहाँ स्वामी और सेवक का संबंध विद्यमान था क्योंकि नियोजक के पास किए गए कार्य को अस्वीकार करने का अधिकार था, और न्यायालय ने यह दोहराया कि 'विभिन्न प्रकार के कार्यों में नियंत्रण और पर्यवेक्षण की मात्रा भिन्न-भिन्न होगी'। वर्तमान मामलों में, अस्वीकार करने के अधिकार को समान रूप से कहा जा सकता है कि यह निर्माता द्वारा होम वर्कर्स (घर पर काम करने वालों) द्वारा तैयार की गई बीड़ियों पर प्रयोग किए गए नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। सुस्पष्ट रूप से, जहाँ 'सिल्वर जुबली टेलरिंग हाउस' के मामले में नियोजक के लिए परिधान की दोबारा सिलाई का निर्देश देना संभव था, वहीं घटिया स्तर की बीड़ियों के मामले में उचित रूप से ऐसे किसी निर्देश की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इस न्यायालय की एक संविधान पीठ को मंगलोर गणेश बीड़ी वर्क्स विरुद्ध भारत संघ के मामले में विधि पर विचार करने का अवसर मिला, जिसमें 'बीड़ी और सिगार श्रमिक (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966' की वैधता को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए कि बीड़ी श्रमिक निर्माता के कर्मचारी थे या स्वतंत्र ठेकेदार, 'दोषपूर्ण बीड़ियों की अस्वीकृति के परीक्षण' को अपनाया। न्यायालय ने अवलोकन किया: (एससीसी पृष्ठ 62,कण्डिका 35)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

...निर्माताओं या ट्रेडमार्क धारकों का दायित्व उन श्रमिकों के प्रति होता है जो सीधे उनके द्वारा नियोजित हैं या जो ठेकेदारों के माध्यम से उनके द्वारा नियोजित किए गए हैं। औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले श्रमिकों से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। निर्माता या ट्रेडमार्क धारक ऐसे श्रम को नियोजित करने के कारण अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन करेंगे। जब निर्माता ठेकेदार के माध्यम से श्रमिक को नियोजित किया जाता है, तो वह निर्माता की ओर से नियोजित किया जाता है, और इसलिए निर्माता का उस ठेका श्रमिक के प्रति दायित्व होता है। केवल तभी, जब ठेकेदार अपने लिए या अपनी ओर से श्रम नियोजित करता है और निर्माता को तैयार माल की आपूर्ति करता है, वह ऐसे श्रमिक के संबंध में प्रधान नियोजक होगा और निर्माता ठेकेदार द्वारा नियोजित ऐसे श्रमिक के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि अस्वीकृति का अधिकार निर्माता या ट्रेडमार्क धारक के पास रहता है, तो ऐसी स्थिति में ठेकेदार, जो ठेका श्रमिक के माध्यम से बीड़ी तैयार करवाता है, यह स्थापित करने में कठिनाई महसूस करेगा कि वह एक स्वतंत्र ठेकेदार है।

10. पूर्व में निर्धारित उन परिस्थितियों और संदर्भों में, जिनमें एक ही निर्माता के 'होम वर्कर्स' अपना काम करते हैं जिसमें कच्चा माल प्राप्त करना, घर पर बीड़ी बनाना और अस्वीकृति के अधिकार के अधीन निर्माता को उन्हें सौंपना शामिल है वहाँ निर्माता और होम वर्कर के बीच स्वामी और सेवक का संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक मात्रा में नियंत्रण और पर्यवेक्षण के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। यह याद रखा जाना चाहिए कि बीड़ी बनाने का कार्य कोई जटिल प्रकृति का नहीं है, जिसके लिए काम करते समय हर वक्त नियंत्रण और पर्यवेक्षण की आवश्यकता हो। यह एक सरल प्रक्रिया है, जिसे व्यवहार में हज़ारों अनपढ़ श्रमिकों द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे युवा और वृद्ध, पुरुष और महिलाएँ समान सुगमता से कर सकते हैं और इसमें किसी उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। इन परिस्थितियों में, अस्वीकृति का अधिकार अपने आप में पर्यवेक्षण और नियंत्रण का एक प्रभावी स्तर गठित कर सकता है। हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि अस्वीकृति होम वर्कर की उपस्थिति में होती है। हालांकि, वह कारक केवल स्वामी और सेवक के संबंध के अस्तित्व को निर्धारित करने में एक सहायक भूमिका निभाता है। याचिकाकर्ता तर्क देते हैं कि बीड़ी बनाने में व्यक्तिगत सेवा का कोई तत्व नहीं है और एक होम वर्कर अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से घर पर काम करवा सकता है। हमारे विचार में, व्यक्तिगत सेवा का यह तत्व तब बहुत कम महत्व रखता है जब नियंत्रण और पर्यवेक्षण का परीक्षण अस्वीकृति के अधिकार में निहित हो।

(विशेष बल दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. मेसर्स पी.एम. पटेल (पूर्वोक्त) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि 1966 के अधिनियम के उक्त प्रावधान न केवल अधिनियम की धारा २(i) के अधीन परिभाषित औद्योगिक परिसर पर लागू होते हैं, बल्कि 1966 के अधिनियम की धारा २ के खंड (ज) के अधीन परिभाषित स्थापन पर भी लागू होते हैं। इस प्रकार, एक विधिक कल्पना के माध्यम से, होम वर्कर (घर पर काम करने वाले कामगार) को बीड़ी निर्माता के स्थापन का हिस्सा माना गया है।

16. मेसर्स पी.एम. पटेल (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क कि घरखाता बीड़ी श्रमिक, जो अपने घर पर बीड़ी बनाता/बनाती है, 1972 के अधिनियम की धारा २(ड़) के अधीन प्रदान की गई कर्मचारी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, स्वीकार्य नहीं है।

17. फलस्वरुप, यह रिट याचिका, *सारहीन होने के कारण*, खारिज किए जाने योग्य है एवं एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

18. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

पी.के. मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By; Vikeshveri

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur